यह दस्तावेज समिति के अंग्रेजी में बनाये गये नियम, उपनियम का अनुवाद मात्र है । किसी भी विवाद या भ्रम कि स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

अंतर्वस्तु

1. पहचान और परिभाषाएं

1.1. नाम
1.2. पता
1.3. संचालन का क्षेत्र
1.4. परिभाषाएँ।
1.4.1. रजिस्ट्रार
1.4.2. अधिनियम
1.4.3. नियम
1.4.4. चुनाव नियम
1.4.5. उपनियम
1.4.6. सहकारी अधिकरण
1.4.7. सरकार
1.4.8. क्षेत्राधिकार
1.4.9. समिति
1.4.10. मुहर
1.4.11. आई ओ टी
1.4.12. ए आई सी टी ई
1.4.13. शाखाएँ
1.4.14. कर्मचारी
1.4.15. पदाधिकारी
1.4.16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
1.4.17. वित्तीय वर्ष
1.4.18. सामान्य निकाय
1.4.19. सदस्य
1.4.20. नाममात्र सदस्य
1.4.21. प्रतिनिधि
1.4.22. व्यक्ति
1.4.23. निदेशक मंडल
1.4.24. निदेशक
1.4.25. व्यावसायिक निदेशक
1.4.26. अध्यक्ष
1.4.27. उपाध्यक्ष .
1.4.28. उप समिति
1.4.29. बैठक
1.4.30. सदस्य का दायित्व

2. समिति के उद्देश्य

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ।

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. समिति की सेवाएं

4. सदस्यता

4.1. सदस्यता के प्रकार
4.2 ए श्रेणी की सदस्यता के लिए पात्रता।
4.3. बी श्रेणी की सदस्यता के लिए पात्रता।
4.4. सी श्रेणी की सदस्यता के लिए पात्रता।
4.5 सदस्यों की अयोग्यता एवम सदस्यता रद्द करना।
4.6. ए श्रेणी की सदस्यता के लिए प्रक्रिया
4.7. बी श्रेणी की सदस्यता के लिए प्रक्रिया
4.8. सी श्रेणी की सदस्यता के लिए प्रक्रिया
4.9. ए-क्लास सदस्यों द्वारा शेयर सदस्यता।
4.10. सदस्यों के अधिकार।
4.10.1. ए श्रेणी के सदस्य
4.10.2. बी श्रेणी के सदस्य
4.10.3. सी श्रेणी के सदस्य।
4.11. सदस्यों के कर्तव्य
4.12. सदस्यों का दायित्व
4.13. सदस्यता और शेयर पूंजी की वापसी
4.14. सदस्य का निष्कासन
4.15. सदस्य द्वारा नामांकन

5. पूंजी और निधि

5.1. प्रवेश शुल्क
5.2. शेयर पूंजी
5.3. आरक्षित और अधिशेष
5.4. अनुदान और सब्सिडी
5.5. दान

6. समिति का प्रबंधन

6.1. सामान्य निकाय
6.1.1. सामान्य निकाय की सेवाएं
6.1.2. शेयर और लाभांश
6.2. निदेशक मंडल
6.2.1. निदेशक मंडल की सेवाएं
6.3. अध्यक्ष और उनके अधिकार
6.4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
6.4.1. पात्रता
6.4.2. कर्तव्य और उत्तरदायित्व
6.5. बी श्रेणी के सदस्यों की सेवाएं
6.6. सी श्रेणी के सदस्यों की सेवाएं

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

7. आंतरिक नियंत्रण

7.1 पुस्तकों और खातों और रजिस्टरों का रखरखाव

7.1.1. वित्तीय विवरणों और अन्य से संबंधित पुस्तकें

7.1.2. रखरखाव

7.2. सहकारिता की लेखापरीक्षा

8. समिति की संरचना में परिवर्तन

9. समिति में विवाद

10. समिति का परिसमापन

11. विविध

ग्रन्थसूची

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी कोआपरेटिव सोसाइटी लि०
संख्या UPCR0000247 जिला लखनऊ
की उपविधि की रजिस्ट्री दिनांक 07.12.2022
को हुयी।
उप आयुक्त एवं उप निबन्धक
सहकारिता
लखनऊ मण्डल, लखनऊ

1. पहचान और परिभाषाएं

1.1 नाम

साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उतार प्रदेश

1.2 पता

दूसरी मंजिल लक्ष्य प्लाजा, सेक्टर
7सी.
वृंदावन योजना
लखनऊ यूपी 226029

1.3 संचालन का क्षेत्र

संचालन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के क्षेत्र तक सीमित होगा। इसका मतलब उस भौगोलिक क्षेत्र से है जहां से समिति उपनियमों में निर्दिष्ट अनुसार अपनी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। समिति यूपी राज्य में बनाई गई अपने संसाधनों के माध्यम से भारत या विदेश में काम करने एवम विज्ञापन करने के लिए सक्षम होगी।
तथापि, कार्य की आवश्यकता के अनुसार, या व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार समिति अपने कार्यबल को तैनात कर सकती है।

1.4 परिभाषाएं

1.4.1 रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार के कार्यों को करने के लिए सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्त और रजिस्ट्रार सहकारिता है और इसमें रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति शामिल है और रजिस्ट्रार की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है।

1.4.2 अधिनियम

अधिनियम का अर्थ है यूपी सहकारी समिति अधिनियम 1965 जिसके तहत सोसायटी पंजीकृत है।

1.4.3 नियम

अर्थात सहकारी समिति अधिनियम 1968, जिसके तहत सोसायटी पंजीकृत है।

1.4.4 चुनाव नियम

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति चुनाव नियम 2014

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

1.4.5 उपनियम

अर्थात समिति द्वारा पंजीकृत उप कानून एवम इसके संशोधन

1.4.6 सहकारी अधिकरण

मतलब यू.पी. सहकारिता अधिनियम के तहत गठित सहकारी न्यायाधिकरण

1.4.7 सरकार

का अर्थ है राज्य सरकार/भारत सरकार/यू.टी. में समुचित प्राधिकारी। प्रसंग के संदर्भ में

1.4.8 क्षेत्राधिकार

का अर्थ है सहकारी समिति के संचालन का क्षेत्र

1.4.9 समिति

मतलब सहकारी समिति

1.4.10 मुहर

अर्थात सोसायटी की सामान्य मुहर जिसमे स्थापना का वर्ष भी दर्शाया गया हो

1.4.11 आई ओ टी

आई ओ टी का अर्थ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इससे संबंधित गतिविधियां, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एवम इसके उपयोग पर आधारित मामले

1.4.12 ए आई सी टी ई

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

1.4.13 शाखाएं

का अर्थ है सहकारी समिति की शाखाएँ

1.4.14 कर्मचारी

कर्मचारी का अर्थ है सोसायटी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का सम्पादन करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त व्यक्ति

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

1.4.15 पदाधिकारी

का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे सामान्य निकाय या सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा समिति के नियम एवम उपनियमों को ध्यान में रखते हुए चयनित किया गया हो । इसमे अध्यक्ष एवम उपाध्यक्ष आदि भी शामिल है ।

1.4.16 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

का अर्थ है वह व्यक्ति, जिसे अधिनियम (1.4.2) के तहत दिन-प्रतिदिन के संचालन / गतिविधियों के प्रबंधन के लिए सोसाइटी के कार्यकारी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि बोर्ड के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन है और मुख्य कार्यकारी, प्रबंध निदेशक या सचिव आदि जैसे किसी भी पदनाम से नामित किया जा सकता है ।

1.4.17 वित्तीय वर्ष

का अर्थ है किसी भी वर्ष के 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि।

1.4.18 सामान्य निकाय

मतलब एक निकाय जिसमें सोसायटी के सभी ए वर्ग के सदस्य शामिल हैं।

1.4.19 सदस्य

अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार पंजीकरण के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने या सोसायटी के सदस्य के रूप में भर्ती होने वाले किसी भी व्यक्ति का मतलब है सदस्य ।

1.4.20 नाममात्र सदस्य

का अर्थ है वह व्यक्ति जो कि अधिनियम, नियम और उप-कानून में प्रदान किए गए नाममात्र सदस्य के रूप में एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सोसायटी की सदस्यता ग्रहण करता । उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

1.4.21 प्रतिनिधि

का अर्थ किसी सहकारी समिति द्वारा संघ या अन्य सहकारी समिति में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित सदस्य है।

1.4.22 व्यक्ति

का आशय एक वयस्क जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ना हो से है।

1.4.23 निदेशक मंडल

अधिनियम के अनुसार गठित प्रबंध समिति या सोसाइटी का शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे सोसाइटी के मामलों की दिशा, नियंत्रण और प्रबंधन सौंपा गया है।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

1.4.24 निदेशक

निदेशक मंडल के सदस्य या अधिनियम के अनुसार विधिवत निर्वाचित या मनोनीत या सहयोजित व्यक्ति जो समिति के नियम और उपनियम के अंतर्गत जुड़ा हो ।

1.4.25 पेशेवर निदेशक

का अर्थ है लेखा, वित्त, प्रबंधन, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून, कृषि, सहकारिता, सहकारी प्रबंधन या अन्य विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के आधार पर सहकारिता के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति, सोसायटी की गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र, यदि स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध है, जो सोसायटी के मामलों या व्यावसायिक गतिविधियों में मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए तैयार है।

1.4.26 अध्यक्ष

का अर्थ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित व्यक्ति है जो समिति के नियम और उपनियम के अंतर्गत चयनित किया गया हो । जो समिति और उसके सदस्यों के समग्र विकास और प्रगति के लिए जिम्मेदार होगा, समिति द्वारा सहकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना सुनिश्चित करेगा ।

1.4.27 उपाध्यक्ष

का अर्थ नियम एवम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित व्यक्ति है जो समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा

1.4.28 उप समिति

अर्थात अधिनियम, नियमों और उपनियमों के अनुसार विशेष/विशेष कार्य के प्रयोजन के लिए और एक विशिष्ट अवधि के लिए, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के लिए गठित उप-समिति।

1.4.29 बैठक

बैठक को निम्नलिखित में से किसी भी रूप में परिभाषित किया जा सकता है

आभासी

वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करना

या

भौतिक

व्यक्तिगत तौर पर भौतिक बैठक

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी [illegible]
[लखनऊ]

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

1.4.30 सदस्य का दायित्व

प्रत्येक सदस्य की देनदारी की सीमा उसके द्वारा सोसायटी की पूंजी के योगदान के लिए उसके पास रखे गए शेयरों तक सीमित है।

उप आयुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता
उत्तर प्रदेश सरकार

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

2. समिति के उद्देश्य

समिति के उद्देश्य होगे:

1.अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और समिति के सदस्यों के लाभ के लिए किसी भी स्थानीय निकाय / सरकार / विभाग / विश्वविद्यालय / समिति / कंपनियों के साथ सामंजस्य करना या एक साथ काम करना।

2. सेवा या व्यवसाय संचालन (जैसे सॉफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर की खरीद, तकनीकी उपकरण, या कोई सरकारी योजना, कौशल सुधार के लिए सदस्यों का तकनीकी प्रशिक्षण आदि) में संलग्न होना, जिससे समिति और उसके सदस्यों की आय में वृद्धि हो सके।

3. तकनीकी संस्थानों और संबंधित सुविधाओं की स्थापना करना।

4. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित को प्रोतसाहित करना और प्रचार-प्रसार करना प्रोन्नति या संबंधित संस्थानों की स्थापना के माध्यम से

5. समिति और इसके सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (इंजीनियरिंग सहित) और इसकी संबद्ध गतिविधियों से संबंधित नवीनतम तकनीकों या विस्तार गतिविधियों का प्रदर्शन, प्रचार और विकास करना।

6. प्रचलित कानूनों के तहत समिति और इसके सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए समिति और इसकी संबद्ध गतिविधियों की बेहतरी के लिए ड्रोन को डिजाइन और विकसित करना।

7. उच्च प्रदर्शन वाले सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म को डिज़ाइन और विकसित करना ओपेन सोर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुये अथवा बिना ओपेन सोर्स के समिति और उसके सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए ।

8. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित आइ०ओ०टी० (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) उपकरणों की खरीद, डिजाइन और विकास करना।

9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

10. अपने सदस्यों और गैर-सदस्यों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूल्यों के बारे में सशक्त बनाना। इस प्रकार उन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करना ।

11. विभिन्न उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले सूचना/डेटा केंद्र के स्रोत के रूप में कार्य करना ।

12 . सोसायटी के सदस्यों के लाभ के लिए अपने संचालन क्षेत्र के बाहर विपणन और इसी तरह की गतिविधियों का संचालन करना ।

13. समिति की वृद्धि के लिए तकनीकी परियोजनाओं का प्रबंधन और आउटसोर्स करना।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

14. सदस्यों और समिति के लाभ के लिए ऐसी अन्य गतिविधियों को करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल और प्रासंगिक हों और सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित हों।

15. अपनी ओर से या सरकार अथवा अन्य कंपनियाँ, अन्य सहकारी समितियाँ, विश्व बैंक, आईएमएफ आदि के निर्देशानुसार सर्वेक्षण, अध्ययन या प्रभाव मूल्यांकन या व्यवहार्यता अध्ययन आदि करना।

16. सहकारी क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने के लिए डेटा और डेटा विश्लेषण का मिलान करना।

17. कोई अन्य गतिविधियां जो उपरोक्त सभी उद्देश्यों के लिए आकस्मिक हैं।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. समिति की सेवाएं

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित सेवाएं या व्यवसायिक सुविधाएं जिनमें समिति प्रचलित कानूनों के तहत खुद को संलग्न कर सकती है, इस प्रकार हैं –

1. सॉफ्टवेयर डिजाइन, विकास, खरीद और रखरखाव से संबंधित कोई भी गतिविधि ।

2. हार्डवेयर डिजाइन, विकास, खरीद और रखरखाव से संबंधित कोई गतिविधि ।

3. ड्रोन डिजाइन, विकास, खरीद और रखरखाव से संबंधित कोई भी गतिविधि ।

4. आई०ओ०टी० डिजाइन, विकास, खरीद और रखरखाव से संबंधित कोई गतिविधि।

5. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई शिक्षा या प्रशिक्षण गतिविधि ।

6. समिति और इसके सदस्यों की वृद्धि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई परामर्श गतिविधि ।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई सहयोग गतिविधि ।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी गतिविधि ।

9. कोई भी संपत्ति निर्माण या व्यवस्था या सहायक कंपनियों की स्थापना जो उत्पाद और सेवाओं के विकास, परामर्श, डिजाइन, उत्पादन, संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन के लिए समिति और उसके सदस्यों के लिए फायदेमंद हो सकती है ।

10. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जागरूकता निर्माण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, कौशल विकास, मेले और प्रदर्शनियां या कोई विस्तार संबंधी कार्य ।

11. सरकार, विभागों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों और उनके संघों/बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सहकार्य करना जो कि संबंधित सरकार से आवश्यक अनुमोदन के साथ हो और समिति और उसके सदस्यों के लिए फायदेमंद हो ।

12. अन्य व्यापरिक एवम वित्तीय सहायता जो समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है ।

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

4. सदस्यता

4.1 सदस्यता के प्रकार

समिति के पास तीन प्रकार की सदस्यता होगी।

1. ए वर्ग के सदस्य सोसायटी के शेयर धारक होते हैं जो उप-कानून में प्रदान किए गए सभी सदस्यता अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

2. बी वर्ग के सदस्य सोसाइटी के सहयोगी सदस्य हैं।

3. सी वर्ग के सदस्य समिति के नाममात्र के सदस्य होते हैं।

4.2 ए वर्ग की सदस्यता के लिए पात्रता

निम्नलिखित व्यक्ति पात्र शर्त की पूर्ति के अधीन ए-श्रेणी के सदस्य होंगे:

1. सोसायटी के पंजीकरण के समय प्रमोटर या
2. एक व्यक्ति जो,
   2.1. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के प्रावधान के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम है और भारत का नागरिक है (जैसा कि भारत के संविधान में परिभाषित है) या भारतीय मूल का व्यक्ति है।
   2.2. किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक हो।
   2.3. निदेशक मंडल के साथ आयोजित सभी साक्षात्कारों में उत्तीर्ण होना चाहिए। सदस्यों के बोर्ड से कोई भी अस्वीकृति अयोग्यता का कारण बनेगी। या
3. केंद्र सरकार या कोई केंद्र सरकार निकाय या राज्य सरकार या कोई राज्य सरकार निकाय या
4. भारत की कोई कानूनी इकाई।

4.3 बी श्रेणी की सदस्यता के लिए पात्रता

1. एक व्यक्ति जो सोसाइटी को अपनी सेवाएं प्रदान करने की इच्छा रखता है या इच्छुक है, उसे INR 1,000/- के प्रवेश शुल्क का भुगतान करके सहयोगी सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जाएगा जो कि गैर-वापसी योग्य है और इसे सोसाइटी की आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा।
2. किसी प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

   या

   केंद्र सरकार या कोई केंद्र सरकार निकाय या राज्य सरकार या कोई राज्य सरकार निकाय

   या

भारत में कोई कानूनी इकाई।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. निदेशक मंडल के साथ किए गए सभी साक्षात्कारों में उत्तीर्ण होना चाहिए। सदस्यों के बोर्ड से कोई भी अस्वीकृति अयोग्यता का कारण बनेगी।
4. एसोसिएट सदस्यों को सोसायटी के मामलों में मतदान करने के लिए किसी भी बैठक में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा और वे सोसायटी से लाभांश के हकदार नहीं होंगे।
5. सहयोगी सदस्य किसी भी चुनाव में नहीं लड़ सकते हैं।
6. एक सहयोगी सदस्य जो अपनी व्यक्तिगत हैसियत से या जमानतदार या गारंटर के रूप में सोसाइटी का अवज्ञा करता है, वह तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक कि सोसायटी के दायित्व का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया गया है।
7. ऐसे सहयोगियों/सदस्यों को कोई शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन सोसायटी में एक अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें उनकी सदस्यता के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर, आधार संख्या और पूरा पता होगा।
8. एक सहयोगी सदस्य वेतन और बोनस के लिए पात्र होगा।

4.4 सी श्रेणी की सदस्यता के लिए पात्रता

1. एक व्यक्ति जिसके साथ समिति का व्यावसायिक व्यवहार है या करने का प्रस्ताव है, को नाममात्र के सदस्यों के रूप मे भर्ती किया जा सकता है।
2. नाममात्र के सदस्यों को सोसायटी के मामलों में मतदान करने के लिए और किसी भी बैठक में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा और वे सोसायटी से लाभांश के हकदार नहीं होंगे।
3. नॉमिनल सदस्य किसी भी चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
4. एक नाममात्र का सदस्य जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में या ज़मानत या गारंटर के रूप में सोसायटी के लिए ऋणी है, तब तक इस तरह का सदस्य बना रहेगा जब तक कि समिति कि सभी जिम्मेदारी पूर्ण नही हो जाती
5. ऐसे नाममात्र के सदस्यों को कोई शेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन सोसायटी में एक अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें उनकी सदस्यता के प्रमाण में उनके हस्ताक्षर, आधार संख्या और पूरा पता होगा।

4.5 सदस्यों की अयोग्यता एवम सदस्यता रद्द करना

एक व्यक्ति प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा या सोसायटी के सदस्य के रूप से निष्काशित होगा, या सदस्य नही माना जयेगा जब वह:

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

1. नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई है और इसे रद्द नहीं किया जा रहा है

2. अदालत द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और तीन महीने या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है जब तक कि उसकी रिहाई के बाद से 5 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई हो:

उप आयुक्त एवं उपनिबंधक सहकारिता उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ मण्डल लखनऊ

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. एक आवेदक है जिसे दिवालिया या दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत किया जाना है या एक अप्रमाणित दिवालिया है या एक अन-डिस्चार्ज दिवालिया है।

4. समिति के उत्थान की दिशा में काम नहीं कर रहा है।

5. बीमार नहीं है और दो महीने के लिए न्यूनतम कार्य लॉग 80 घंटे से कम है।

6. सोसायटी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर तय किए गए योगदान, अंशदान सहित सभी देय राशि के भुगतान में चूक हुई है और भुगतान की सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया है।

7. वह पागल है,

8. अधिनियम, नियमों और उप-नियमों के प्रावधान के अनुसार किसी भी अन्य अयोग्यता का अधिकारी है।

4.6 ए क्लास की सदस्यता के लिए प्रक्रिया

1. कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनने का इच्छुक है और उपनियम के अनुसार पात्र है, निर्धारित शुल्क पर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है और विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को जमा कर सकता है।
2. सीईओ ऑनलाइन टूल जैसे हैकररेंक का उपयोग करके लिखित तकनीकी मूल्यांकन करेगा। सदस्य बनने के लिए पूर्ण रूप से भरने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है अन्यथा आवेदन इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाएगा।
3. सीईओ और टीम समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल की जांच के लिए चार स्तरीय तकनीकी साक्षात्कार का आयोजन करेंगे। आवेदन के साथ आगे बढ़ने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है, अन्यथा आवेदन इस स्तर पर समाप्त कर दिया जाएगा।
4. सीईओ अंतिम निर्णय के लिए इसे निदेशक मंडल के समक्ष रखेंगे।
5. सीईओ आवेदक को निदेशक मण्डल के निर्णय के बारे में बोर्ड कि बैठक के 15 दिनों के भीतर अवगत कराकर यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि बीओडी द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उसे प्रवेश शुल्क जमा करने और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के जैसे कि पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, भूमि धारण प्रमाण पत्र, अनौपचारिक समूह/अन्य सहकारी समिति आदि का संकल्प जिसके प्रस्तुत करने पर आवेदक को समिति के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया जायेगा।
6. प्रत्येक व्यक्ति को ए-श्रेणी का सदस्य बनने के लिए सोसायटी के कम से कम पांच शेयर (1000 रुपये कैश शेयर) की सदस्यता लेनी होगी, जिसकी राशि 5000 रुपये होगी। सदस्य को प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क INR 1000 भी देना होगा, जो अप्रतिदेय होगा।
7. संभावित सदस्यों को सहकारी मूल्यों के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए। सदस्य के रूप में स्वीकार करने से पहले सिद्धांतों और दर्शन और समिति में उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं और लाभों का।

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

4.7 बी श्रेणी की सदस्यता के लिए प्रक्रिया

1. कोई भी व्यक्ति जो सोसायटी का सदस्य बनने का इच्छुक है और उपनियम के अनुसार पात्र है, एक निर्धारित फीस पर एक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है और विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को जमा कर सकता है। समिति।
2. सीईओ हैकररेंक जैसे ऑनलाइन टूल का उपयोग करके लिखित तकनीकी मूल्यांकन करेगा। संहिता आदि लेकिन सीमित नहीं। सदस्य बनने के लिए पूर्ण रूप से भरने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है अन्यथा आवेदन इस स्तेज पर समाप्त हो जाएगा।
3. समस्या समाधान और निर्णय लेने के कौशल की जांच करने के लिए सीईओ और टीम तकनीकी साक्षात्कार के 4 दौर आयोजित करेगी। आगे बढ़ने के लिए इसे पूरा करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है अन्यथा इस स्तर पर आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा।
4. सीईओ इसे अंतिम निर्णय के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखेगा।
5. सीईओ आवेदक को निदेशक मण्डल के निर्णय के बारे में बोर्ड कि बैठक के 15 दिनों के भीतर अवगत कराकर यह सुनिश्चित करेगे कि यदि बीओडी द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उसे प्रवेश शुल्क जमा करने और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के जैसे कि पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, भूमि धारण प्रमाण पत्र, अनौपचारिक समूह/अन्य सहकारी समिति आदि का संकल्प जिसके प्रस्तुत करने पर आवेदक को समिति के सदस्य के रूप में प्रवे
6. बी श्रेणी के सदस्य शेयर सदस्यता के लिए अपात्र हैं।
7. सदस्य के रूप में स्वीकार करने से पहले संभावित सदस्यों को सहकारी मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शन और सोसायटी में उपलब्ध सेवाओं / सुविधाओं और लाभों के साथ शिक्षित किया जाना चाहिए।

4.8 सी श्रेणी की सदस्यता के लिए प्रक्रिया

1. कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी का सदस्य बनना चाहता है और उप-कानून के अनुसार पात्र है, एक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को सोसायटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को जमा कर सकता है।
2. सीईओ अंतिम निर्णयों के लिए इसे निदेशक मंडल के समक्ष रखेगा।
3. सीईओ आवेदक को निदेशक मण्डल के निर्णय के बारे में बोर्ड कि बैठक के 15 दिनों के भीतर अवगत कराकर यह सुनिश्चित करेगे कि यदि बीओडी द्वारा अनुमति दी जाती है, तो उसे प्रवेश शुल्क जमा करने और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के जैसे कि पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, भूमि धारण प्रमाण पत्र, अनौपचारिक समूह/अन्य सहकारी समिति आदि का संकल्प जिसके प्रस्तुत करने पर आवेदक को समिति के सदस्य के रूप में प्रवे
4. सी क्लास के सदस्य शेयर सब्सक्रिप्शन और प्रॉफिट शेयरिंग के लिए अपात्र हैं

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

5. भावी सदस्यों को सदस्य के रूप में स्वीकार करने से पहले सहकारी मूल्यों, सिद्धांतों और दर्शन और समिति में उपलब्ध सेवाओं/सुविधाओं और लाभों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

4.9 ए-क्लास सदस्यों द्वारा शेयर सदस्यता

1. प्रत्येक व्यक्ति को सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करने के लिए INR 1000 के प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा और INR 5000 की राशि के कम से कम 5 पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों को सोसाइटी की पूंजी में जमा करना होगा।
2. सरकार सहित किसी सदस्य द्वारा अधिकतम शेयर होल्डिंग। सोसाइटी की कुल अभिदान शेयर पूंजी के 1/10 भाग तक सीमित होगी।
3. प्रत्येक व्यक्ति जिसे शेयर आवंटित किए गए हैं, उसे आवंटित शेयरों की संख्या और उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा।
4. प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र पर अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सोसायटी के निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
5. समिति शेयरों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी । समय-समय पर अपने सदस्य को स्थानांतरित किए गए शेयरों का रिकॉर्ड और सोसायटी के प्रत्येक सदस्य के लिए उपलब्ध शेयर पूंजी की राशि दर्शित कि जयेगी।
6. समिति के पास शेयर राशि और उस पर अर्जित लाभांश को संबंधित ऋणों या उससे वसूली योग्य किसी अन्य देय राशि के लिए पूर्ण अधिकार होगा। यह सिद्धांत सदस्यों, पिछले सदस्य और मृत सदस्य पर भी लागू होगा।
7. सोसायटी के पूंजी आधार को मजबूत करने पर अर्जित लाभांश का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार सोसायटी के पास होगा।
8. सोसायटी द्वारा घोषित लाभांश की दर का निर्णय अधिनियम और नियमों के अनुसार सामान्य निकाय बैठक का निर्णय लिया।

4.10 सदस्यों के अधिकार

4.10.1 एक वर्ग सदस्य

प्रत्येक A वर्ग के सदस्य के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे

1. समिति कि सामान्य बैठक में उपस्थित होना और चुनाव में मतदान करना
2. वार्षिक रिपोर्ट और खातों की एक प्रति प्राप्त करना
3. निदेशकों या प्रतिनिधि का चुनाव करना और पात्र होने पर बोर्ड में निदेशक के रूप में चुनाव लड़ना बशर्ते कि वह एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सोसायटी का सदस्य रहा हो।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

4. सोसायटी द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं/सुविधाओं या ढांचागत सहायता का लाभ उठाना;

5. सोसायटी द्वारा अपनी शेयर पूंजी पर अर्जित लाभ में हिस्से के रूप में लाभांश प्राप्त करना

6. सोसायटी में अपने खातों का निरीक्षण करना और निदेशक मंडल/प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करके उसकी एक प्रति प्राप्त करना;

7. वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखा विवरण, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करना;

8. जीएनसीआरएल निकाय बैठकों से संबंधित मिनट बुक की कार्यवाही की एक प्रति प्राप्त करना

9. अधिनियम, नियम और समिति के अद्यतन उप-नियमों की प्रति प्राप्त करना

10. किसी जांच या विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करना तथा

11. सोसाइटी में मतदान के अधिकार का लाभ उठाने के लिए, एक सदस्य को सोसाइटी के सामान्य निकाय द्वारा तय की गई न्यूनतम सेवाओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता होती है अधिनियम, नियम और उपनियम के अनुसार।

4.10.2 बी वर्ग सदस्य

बी वर्ग के प्रत्येक सदस्य के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे:

1. प्रत्येक बी श्रेणी का सदस्य किए गए किसी भी कार्य के तहत भुगतान के लिए पात्र होगा।

2. कुल उत्पन्न राजस्व का अधिकतम 20% तक सामूहिक प्रोत्साहन प्राप्त करना । इच्छित सदस्य सीधे परियोजना से जुड़ा होना चाहिए।

4.10.3 सी वर्ग के सदस्य

प्रत्येक सहयोगी सदस्य के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे

1. परियोजना से उत्पन्न होने वाले कुल राजस्व का 20% तक सामूहिक प्रोत्साहन प्राप्त करना। इच्छित सदस्य को सीधे परियोजना से जोड़ा जाना चाहिए और उसका पुनर्मूल्यांकन और योगदान पहले ही तय किया जाएगा और कार्य के निष्पादन से पहले एक समझौता ज्ञापन / एलओआई / समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2. समिति के परिचालन क्षेत्र के भीतर या बाहर संचालित पारस्परिक रूप से तय नियमों और शर्तों पर समिति और उसके सदस्यों के लिए फायदेमंद हो सकने वाली सुविधाओं को उनके स्वामित्व में प्रदान करना।

4.11 सदस्यों के कर्तव्य

1. प्रत्येक आवेदक को सोसायटी की सदस्यता स्वीकार करने से पहले एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा कि उसने उपनियम के प्रावधानों को फिर से पढ़ा और समझा है और समिति के उपनियमों से बंधे रहेंगे।

2. एक सदस्य जो पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल होने के कारण पहले से ही एक सदस्य है, को सोसायटी के पंजीकरण के एक महीने के भीतर ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलौंजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. कोई भी सदस्य सदस्यता के किसी भी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने ऊपर उल्लिखित घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं कर दिया है और प्रवेश शुल्क और उसके द्वारा सब्सक्राइब किए गए शेयरों के पूर्ण मूल्य का भुगतान नहीं कर दिया है।

4.12 सदस्यों का दायित्व

समिति के ए वर्ग के सदस्य, परिसमापन/विघटन की स्थिति में, संपत्ति में कमी के लिए योगदान करने के लिए, संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे उनके द्वारा सब्सक्राइब या भुगतान की गई शेयर पूंजी की सीमा तक सीमित होंगे ।

4.13 सदस्यता और शेयर पूंजी की वापसी

निदेशक मंडल या सामान्य निकाय की अनुमति के बाद ही सदस्यता वापस ली जा सकती है। यदि सदस्य ने सोसायटी को सभी देय राशि का पूर्ण रूप से भुगतान कर दिया है, तो वह अपनी राशि वापस ले सकता है, बशर्ते कि एक सदस्य को निदेशक मंडल को तीन महीने का नोटिस देना और वापसी के कारणों की व्याख्या करते हुए एक लिखित अनुरोध देना आवश्यक है। सदस्यता की वापसी/समाप्ति सदस्य के रूप में उसके पास मौजूद किसी भी वित्तीय या अन्य देनदारियों से सदस्य को मुक्त नहीं करता है।

4.14 सदस्य का निष्कासन

समिति के किसी सदस्य को निदेशक मंडल या सामान्य निकाय में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा निष्कासित किया जा सकता है यदि. -

1. उसने समिति के हित के विरुद्ध कार्य किया है; और/या
2. सदस्य के रूप में उनका बने रहना हानिकारक और कामकाज के लिए प्रतिकूल है

बशर्ते कि, संबंधित सदस्य को तब तक निष्कासित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

4.15 सदस्य द्वारा नामांकन

एक सदस्य किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामांकित कर सकता है जिसके पक्ष में सोसायटी ऐसे सदस्य की मृत्यु पर उसके हिस्से या हित का निपटान करेगी।

5 .पूंजी और निधि

सोसायटी सामान्यतः निम्नलिखित स्रोतों से धन प्राप्त करेगी:

1. प्रवेश शुल्क/सदस्यता नामांकन शुल्क
2. शेयर पूंजी
3. रिजर्व और सरप्लस
4. अनुदान और सब्सिडी
5. दान
6. व्यावसायिक गतिविधियों से आय

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

5.1 प्रवेश शुल्क

सोसायटी रुपये का प्रवेश शुल्क जमा करती है। ए क्लास और बी क्लास दोनों सदस्यों से 1000 । प्रवेश शुल्क अकाट्य है। सी क्लास के सदस्यों को कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा।

5.2 शेयर पूंजी

1. सोसायटी की अधिकृत शेयर पूंजी INR 5,00,00,000 (पांच करोड़) होगी।

2. प्रत्येक शेयर का मूल्य 1000 रुपये है। शेयर के कुल मूल्य का भुगतान अनुमान के अधार पर अवंटन के समय किया जयेगा ।

3. मेम्बर्स द्वारा धारित शेयर पूंजी पर लाभांश उन्हें वितरित किया जाएगा जैसा कि सामान्य निकाय में अधिनियम और नियमों में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन तय किया गया है।

4. कोई सदस्य अपनी शेयर पूंजी केवल सदस्यता वापस लेने पर ही निकाल सकता है । उसकी मृत्यु पर, शेयर पूंजी की राशि उसके नामांकित व्यक्ति को समिति कि बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करने के बाद दी जाएगी। बशर्ते कि जहां नामांकित व्यक्ति सदस्यता के लिए आवेदन करता है, ऐसी राशि नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

5.3 आरक्षित और अधिशेष

समिति हर साल शुद्ध लाभ का 25% अपने रिजर्व के लिए उपयुक्त करेगी और अधिशेष निधि या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। सोसायटी की आरक्षित निधि समग्र रूप से उसकी है और किसी भी सदस्य का इसमें हिस्से का दावा नहीं होगा। हालांकि, सोसायटी सामान्य निकाय के अनुमोदन से व्यवसाय में पूरी राशि या उक्त निधि के एक भाग का उपयोग कर सकती है।

5.4 अनुदान और सब्सिडी

समिति सरकार या अन्य एजेंसियां से अनुदान और सब्सिडी प्राप्त कर सकती है ।

5.5 दान

सीमित सरकार या अन्य एजेंसियां से विशिष्ट उद्देश्य के लिए दान प्राप्त कर सकती हैं ।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6. समिति का प्रबंधन

6.1 सामान्य निकाय

6.1.1

सोसायटी में सर्वोच्च और अंतिम अधिकार इसके सदस्य के सामान्य निकाय में निहित होगा । सोसायटी के सामान्य निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

1. समिति के सभी ए वर्ग के सदस्य।

6.1.2

उपनियमों के सामान्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जनरल बॉडी के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे:

1. निदेशक मंडल का चुनाव अधिनियम, नियमों, चुनाव नियमों और उपनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार;
2. बोर्ड द्वारा तैयार और प्रस्तुत कि गयी सोसायटी की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।
3. नवीनतम लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुपालन तथा लेखापरीक्षित लेखा विवरण और लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।
4. वार्षिक बजट का अनुमोदन:
5. अधिनियम, नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार किए गए निरीक्षण और जांच की रिपोर्ट पर विचार, यदि कोई हो:
6. शुद्ध लाभ का विनियोग ।
7. विशिष्ट आरक्षित निधि और अन्य निधियों का सृजन करना और अन्य फंड कि वास्तविक परिनियोजन की समीक्षा करना
8. नियमों के अनुसार उप-नियमों में संशोधन, यदि कोई हो;
9. सदस्य का निष्कासन, यदि कोई हो
10. दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना और वार्षिक परिचालन योजना का अनुमोदन
11. सामान्य निकाय बैठक के अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य व्यवसाय को गतिमान करना

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लि॰ ड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6.1.3

समान्य निकाय के सदस्य समय-समय पर बैठक करेंगे जिसमे समिति के समन्य कार्य या व्यवसाय पर चर्चा होगी और ऐसी बैठकें सामान्य निकाय बैठकें कहलाएंगी और यह तीन प्रकार की होंगी।

1. **वार्षिक आम सभा बैठक**

   1.1. वित्तीय वर्ष बंद होने के 8 महीने के भीतर वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाएगा

   1.2. सामान्य निकाय meeting के आयोजन के लिए 15 दिनों की स्पष्ट सूचना की आवश्यकता होगी।

   1.3. आम सभा की बैठक में प्रॉक्सी वोट की अनुमति नहीं है।

2. **विशेष आम सभा की बैठक** – एक विशेष आम सभा की बैठक हो सकती है- बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान किसी भी समय या आररसीएस के आदेश द्वारा या यदि उन्हें लगता है कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए आम सभा कि बैठक कि आवश्यकता है ।

3. **अपेक्षित आम सभा बैठक**

   3.1. बोर्ड द्वारा 30 दिनों के भीतर अपेक्षित सामान्य निकाय बैठक बुलाई जाएगी यदि कुल सदस्यों मे कम से कम एक-चौथाई वोटिंग का अधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग की गयी ।

   3.2. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह मांग मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित की जाएगी एवम अधिकारी को बैठक की आवश्यकता और प्रस्तावित एजेंडे को बताएंगे।

   3.3. यदि मांग पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड सामान्य बैठक को उचित समय के भीतर बुलाने में विफल रहता है तो मांग के लिए हस्ताक्षरकर्ता मामले को रजिस्ट्रार को संदर्भित कर सकते हैं, यदि रजिस्ट्रार उचित समझे तो सामान्य बैठक बुला सकते हैं या फिर किसी बैठक बुलाने के लिये अधिकृत कर सकते है ।

6.1.4

सदस्यों की सामान्य सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। आम बैठक सहकारी समिति के सदस्यों को बोर्ड द्वारा या सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड के निर्देशन में बुलाया जा सकता है।

6.1.5

कम से कम 15 स्पष्ट दिनों की सूचना, जिसमें सामान्य बैठक की तिथि, स्थान और समय और एजेंडा निर्दिष्ट किया गया हो, सभी सदस्यों को दी जाएगी। सामान्य बैठक की सूचना दी जा सकती हैनिम्न में से एक या अधिक मोड में:

1. सोसायटी के कार्यालय में या सोसायटी के संचालन के क्षेत्र में किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस की एक प्रति चिपकाना;
2. नोटिस बुक को परिचालित करके और उस पर सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त करके;
3. डाक द्वारा
4. डिजिटल मोड जैसे पंजीकृत ईमेल, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस/एमएमएस द्वारा

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6.1.6

सामान्य बैठक के लिए निर्दिष्ट संख्या सदस्यों की कुल संख्या का एक चौथाई संख्या या अधिनियम और नियम में दर्शाये गए संख्या अनुसार होगा। यदि सामान्य बैठक के लिए निर्धारित समय पर, निर्धारित समय से एक घंटे के इंतजार के बाद भी निर्दिष्ट संख्या पूरी नहीं होती है, तो बैठक को आगे की तारीख के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और उस तारीख के लिए नए सिरे से सूचना दी जाएगी।

6.1.7

बैठक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा सकती है और बैठक की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए।

6.1.8

यदि सदस्यों की मांग पर बैठक बुलाई गई है और निर्दिष्ट संख्या पूरी नहीं हुई है, तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी और आगे कोई आम बैठक उक्त मांग के बल पर नहीं होगी । यदि सामान्य बैठक मांग के अन्यथा बुलाई जाती है तो अध्यक्ष बैठक को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर देगा और बाद की आम बैठक के लिए एक नई सूचना सभी सदस्यों को दी जाएगी। बाद की आम बैठक उपस्थित सदस्यों की संख्या के साथ सम्पादित किया जा सकता है

6.1.9

अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे । जब ये दोनों अनुपस्थित हों, तो उपस्थित सदस्य किसी एक का चुनाव उक्त बैठक में अध्यक्ष के लिए करेगे ।

6.1.10

साधारण सभा के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। आम सभा में प्रॉक्सी द्वारा मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान के योग्य सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जाएगा। मत बराबर होने पर सभापति, सामान्य निकाय के पास अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

6.1.11

एक सामान्य निकाय बैठक में चर्चा या निर्णय किए गए सभी कार्यों को मिनट में दर्ज किया जाएगा पुस्तक और बैठक के अध्यक्ष और समिति के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6.1.12 सामान्य निकाय के कार्य

परियोजना का सफल डिजाइन, विकास, रखरखाव, निष्पादन और सुपुर्दगी के लिए सामान्य निकाय जिम्मेदार होगा । ए-श्रेणी के सदस्य समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के डिजाइन, विकास, वितरण, खरीद और रखरखाव के लिए अपनी विशेषज्ञता ला सकते हैं ।

1. परियोजना के सफल समापन के लिए सदस्य के पास आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता है
2. सदस्य को प्रति घंटे के आधार पर परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जब वह सोसायटी द्वारा पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं के डिजाइन, विकास, वितरण, खरीद और रखरखाव में शामिल होगा।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लि॰

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. सदस्य को उस परियोजना के राजस्व से परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा जिसमें वह सीधे तौर पर शामिल है।
4. ऐसे परामर्शी कार्य के भुगतान के लिए कार्य लॉग बनाए रखा जाना चाहिए।
5. कार्य-लॉग बोर्ड और सीईओ के विवेक पर अनुमोदन का विषय है।
6. परामर्श शुल्क संबंधी विवाद की स्थिति में ए वर्ग के सदस्य मतदान द्वारा समाधान कर सकते हैं। निर्णय के बहुमत को साबित करने के लिए कुल ए-क्लास सदस्यों के न्यूनतम 2/3 वोट की आवश्यकता होती है।

6.1.13 शेयर और लाभांश

ए-श्रेणी के सदस्य लाभांश के साथ फीस के पात्र होंगे और शेयर रख सकते हैं।

6.2 निदेशक मंडल

6.2.1

समिति के मामलों का प्रबंधन करने के लिए निदेशक मंडल होगा | इसका गठन समिति के सदस्यों में से या सहकारी समिति अधिनियम और राज्य के शासन में निर्धारित अनुसार चुनाव द्वारा किया जाएगा ।

6.2.2

कोई भी व्यक्ति समिति के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि व्यक्ति:

1. 21 वर्ष से कम आयु का है; या
2. बेईमानी या नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है: या
3. दिवाला के लिए आवेदन किया है या दिवालिया घोषित किया गया है; या
4. अस्वस्थ दिमाग का है; या
5. शेयरों का बकाया है; या
6. चुनाव की तारीख से ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष के लिए सहकारी समिति का मतदान सदस्य नहीं है; या
7. इलेक्शन से ठीक पहले आयोजित समिति की कम से कम 2 आम सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया है; या
8. किसी भी समय एक सदस्य के रूप में मतदान करने या उपनियम में निर्दिष्ट एक के रूप में जारी रखने का अधिकार खो दिया है; या
9. अधिनियम, नियम और उपनियम में निर्दिष्ट निदेशक की कोई अन्य अयोग्यता हुई है |

6.2.3

बोर्ड में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

6.2.4

निदेशक मंडल का कार्यकाल अधिनियम के अनुसार होगा।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6.2.5

बोर्ड कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराने के लिए अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा।

6.2.6

निदेशक मंडल की बैठकें आयोजित करने के लिए कम से कम पन्द्रह स्पष्ट दिनों का नोटिस आवश्यक है।

6.2.7

सहकारी समिति अधिनियम और नियम में प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स के चुनावों को अपना सकती है।

6.2.8

बोर्ड समिति के कारोबार के लेन-देन की निगरानी के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

6.2.9

बोर्ड के अधिकांश सदस्यों की मांग पर मांग की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर बोर्ड कि बैठक बुलाई जाएगी। मांग मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित की जाएगी और बैठक की आवश्यकता और प्रस्तावित एजेंडा बताएगी।

6.2.10

निदेशक मंडल अधिकतम 2 पेशेवर निदेशक को शामिल करने का निर्णय ले सकते है जिनका अनुभव और विशेषज्ञता कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खाद्य प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, सहयोग. प्रबंधन कानूनी, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि मे हो। ऐसे पेशेवर निदेशक बोर्ड के सदस्य होंगे लेकिन ऐसे सदस्य को अधिनियम में निर्दिष्ट निदेशको की कुल संख्या में गिनती के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा।

6.2.11

बोर्ड के एक सदस्य को पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा या यदि वह:

1. सोसाइटी का शेयर-धारक बनना बंद कर देता है; या
2. दिवाला के लिए आवेदन किया है या दिवालिया घोषित किया गया है; या
3. बेईमानी या नैतिक अधमता के लिए किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है; या
4. इस्तीफा देता है और उसका इस्तीफा बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है: या
5. बोर्ड की अनुमति के बिना निदेशक मंडल की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित; नहीं तो
6. शेयर के किसी भी बकाया का भुगतान करने में विफल रहता है; या
7. सहकारी अधिनियम और नियम के तहत अपराध के लिए दंडित किया गया है; या
8. सोसायटी के उप कानून के तहत सदस्य के रूप में वोट देने का अधिकार खो दिया है: या
9. दो साल से पहले किसी भी समय सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी से निष्कासित कर दिया गया है।

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6.2.12

निदेशक मंडल को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा।

6.2.13

यदि बोर्ड का कोई निदेशक बोर्ड की लगातार तीन बैठकों से स्वयं को अनुपस्थित करता/करती है तो वह ऐसे बोर्ड का सदस्य होने का दावा करेगा/करेगी तथ्य संबंधित सदस्य को सूचित किया जाएगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बोर्ड की अगली बैठक में सदस्य से प्राप्त उत्तर के साथ इसकी सूचना दी जाएगी। वह निकाय ऐसे सदस्य को बहाल करने के लिए खुला होगा, बशर्ते कि ऐसे सदस्य से लिखित रूप में एक मांग प्राप्त हो और यह भी कि निदेशक की अवधि के दौरान उसे एक से अधिक बार बहाल नहीं किया जाएगा। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बोर्ड में अपनी सीट खो देता है और यदि बोर्ड द्वारा अपनी अगली बैठक में उसे बहाल नहीं किया जाता है, तो वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, नहीं रह जाएगा और बोर्ड इसके कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए आगे बढ़ने के लिये बाध्य होगा।

6.2.14

बोर्ड का एक निदेशक भी पद धारण करना बंद कर देगा या चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो जाएगा यदि जांच और प्रमाणन पर अधिनियम के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा वह पाया जाता है:

1.समिति को नुकसान पहुंचाने या संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का दोषी;

2. संबंधित सेवा नियमों और विनियमों के उल्लंघन में सहकारी में किसी भी पद पर नियुक्ति करने के लिए।

6.2.15

बोर्ड के सदस्य आपस में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

6.2.16

समिति के हित के लिए जब भी आवश्यक हो बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी। बोर्ड की बैठक का कोरम बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम एक तिहाई या बोर्ड के पांच सदस्यों, जो भी हो, की उपस्थिति से बनाए रखा जाएगा। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा चुने गए सदस्य बैठक में उपस्थित बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जब तक अन्यथा प्रदान न किया जाए इन उप-नियमों, सभी मामलों का निर्णय बोर्ड की बैठक में बहुमत से होगा। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा। मतों की समानता के मामले में, अध्यक्ष के पास अतिरिक्त कास्टिंग वोट होगा।

6.2.17

बोर्ड सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और समिति के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, सिवाय सामान्य निकाय के लिए आरक्षित किसी भी विनियमों या प्रतिबंधों के अधीन जो विधिवत निर्धारित हैं सोसायटी द्वारा आम बैठक में या उपनियमों में। विशेष रूप से, निदेशक मंडल के निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे:

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटे
लखनऊ

1. अपने सभी लेन-देन में अथवा व्यापरिक गतिविधियों में अधिनियम, नियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करना
2. समिति द्वारा प्राप्त सभी धन और किए गए व्यय और खरीदी और बेची गई सभी संपत्ति के संबंध में सही और सटीक खाते बनाए रखना;
3. समिति की संपत्ति और देनदारियों का सही लेखा-जोखा तैयार करना;
4. समिति के कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए, का एक वार्षिक विवरण बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और ट्रेडिंग खाते सहित खाते वार्षिक आम सभा बैठक को प्रस्तुत करना
5. लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक खातों का विवरण तैयार करना और उन्हें साथ में रखना लेखा परीक्षक के समक्ष प्रासंगिक वाउचर और अन्य जुड़े कागजात प्रस्तुत करना
6. खातों की जांच, आकस्मिक व्यय की मंजूरी और रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित रजिस्टरों में रेकार्ड उपलब्ध रखना
7. रजिस्ट्रार और फाइनेंसिंग बैंकिंग की जांच रिपोर्ट पर विचार करना और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना
8. नए सदस्यों को प्रवेश देना और शेयरों का आवंटन;
9. शेयरों की वसूली की व्यवस्था करना;
10. चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर को समान्य बैठक को बुलाने के लिए उपनियमों के अनुसार निर्देश देना;
11. समय-समय पर कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को, बनाने और नियुक्त कर समिति कार्यों के निर्वहन में समिति की सहायता करना। अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की योग्यता और सेवा की शर्त मानव संसाधन नीति या समिति के सेवा नियम के अनुसार निदेशक मंडल के अनुमोदित के अनुसार तय की जाएगी।
12. कुशल जनशक्ति/परामर्शदाताओं को आऊटसोर्सिंग के आधार पर नियुक्त करना।
13. समिति के किसी सदस्य, या अधिकारी या कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत, संस्था या बोर्ड या अधिकारी द्वारा या उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने, समझौता करने, मध्यस्थता का संदर्भ देने या छोड़ने के लिए या समिति के मामलों से संबंधित कर्मचारी को अधिकृत करना।
14. सोसाइटी की ओर से अन्य/पंजीकृत सहकारी समितियों में शेयर प्राप्त करना;
15. अभिलेखों, नकद उपकरणों और संपत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना समिति और इस संबंध में कर्मचारियों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां तय करना।
16. बोर्ड सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करना तथा स्वीकृति की दशा में व्यवस्था करना परिणामी रिक्ति को उसके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए चयन के माध्यम से भरने के लिए अधिनियम, नियमों और उप-नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।
17. सहकारी समिति अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार समिति के अधिशेष धन का निवेश करना;

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

18. समिति की ओर से संपत्ति खरीदना, बेचना, किराए पर लेना या अन्यथा अर्जित करना या उसका निपटान करना

19. समिति के सामान्य निकाय द्वारा तय और सौंपे गए अनुसार समिति के व्यवसाय को आगे बढाना ।

6.2.18

निदेशक मंडल उप-समितियों का गठन कर सकता है जैसे ग्राम समिति, वित्त और लेखा परीक्षा समिति, भर्ती/चयन/नियुक्ति समिति, युवा/महिला समिति, व्यवसाय/व्यापार संवर्धन और उद्यमिता/औद्योगीकरण समिति, सतत/सामुदायिक विकास समिति, आदि, व्यवसाय के अनुसार समिति की गतिविधियाँ और आवश्यकताएँ और उनकी शक्तियों और कार्यों को भी निर्धारित कर सकता है । समिति के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते कार्य लॉग के आधार पर बोर्ड निर्धारित कर सकता है। उप-समिति में लिये गये सभी निर्णय/प्रस्ताव कि प्रकृति सांकेतिक/सिफरिशी होगी जिस पर कोई भी कार्यवाही निदेशक मण्डल और सीईओ से अनुमोदन के बाद ही की जयेगी ।

6.2.19

समिति के मामलों के संचालन में, निदेशक मण्डल विवेक और उचित परिश्रम का प्रयोग करेगा और कानून, उपनियमों और समिति की बताई गई वस्तुओं के विपरीत कृत्यों के माध्यम से किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।

6.2.20

निदेशक मंडल की बैठक में चर्चा या निर्णय लिए गए सभी कार्यों को एक मिनट पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, जिस पर बैठक के अध्यक्ष, उपस्थित बोर्ड के सदस्य और सीईओ द्वारा अधिनियम और नियम में दी गई समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

6.2.21 निदेशक मंडल की सेवाएं

बोर्ड की सेवाएं मानद या नि:शुल्क होंगी।

अपवाद:-

निदेशक मंडल समिति द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के डिजाइन, विकास, वितरण, खरीद और रखरखाव के लिए अपनी विशेषज्ञता ला सकता है। निदेशक धारा 6.1.12 के अनुसार देय शुल्क के लिए पात्र होगा

6.3 अध्यक्ष और उनकी शक्तियां

1. अध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल के सदस्यों में से किया जाएगा
2. अध्यक्ष बोर्ड की ओर से प्रशासन, व्यवसाय और सोसायटी के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. अध्यक्ष बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा, बोर्ड के अनुमोदन के आधीन या किसी आपात स्थिति में, या अपनी अनुउपस्थिति में अपने किसी भी अधिकार के प्रतिनिधित्व के लिये उपाध्यक्ष को या किसी निदेश को विशेष अवधि के लिये नामित करेगा और इस प्रकार नामित किसी भी अधिकार को वापस भी ले सकेगा।

4. अध्यक्ष को सोसायटी का कोई रिकॉर्ड या सीईओ से कोई रिपोर्ट मांगने का अधिकार होगा ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि सोसाइटी के मामलों का प्रबंधन अधिनियम, नियम और उपविधि के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

5. अध्यक्ष बोर्ड द्वारा अपनी बैठक में दिए गए किसी आदेश या लिए गए विनिश्चय का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. अध्यक्ष परियोजनाओं के सफल निष्पादन के लिए सीईओ के साथ समन्वय में कार्य करेंगे।

7. अध्यक्ष अन्य सभी संगठनों और मंचों में सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व करेगा, या इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त निदेशक के चयन के लिए बोर्ड से संपर्क करेगा, यदि वह खुद किसी परिस्थिति में समिति का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ है।

8. वह आम सभा और निदेशक मंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष अपने निर्णायक वोट का प्रयोग तभी करेगा जब वोटों की समानता हो।

6.4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक का चयन ए श्रेणी से किया जाएगा समिति के सदस्य के रूप में समिति के मामलों और प्रशासनिक देखभाल करने के लिए अधिनियम, नियम और उपनियम के अनुसार। उसके पास आवश्यक शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, अनुभव और प्रशिक्षण जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है:

6.4.1 पात्रता

1. ए वर्ग के सदस्य के लिए पात्र होना चाहिए
2. प्रतिष्ठित संगठन के साथ अतीत में कार्य अनुभव होना चाहिए

6.4.2 कर्तव्य और उत्तरदायित्व

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निदेशक मंडल के सहायक निकाय के रूप में कार्य करेंगे
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्नलिखित कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे:
   2.1. बोर्ड के निर्देशानुसार, सामान्य निकाय और निदेशक मंडल की बैठक समय पर आयोजित करना;
   2.2. बोर्ड और सामान्य निकाय की सभी बैठकों में उपस्थित रहना और ऐसी बैठकों में आवश्यक सभी प्रासंगिक कागजात, दस्तावेज प्रस्तुत करना और साथ में हस्ताक्षर करना
   2.3. अध्यक्ष के साथ, ऐसी बैठकों के मिनट बुक में कार्यवाही रिकॉर्ड करने और सभी प्रविष्टियां को सुनिश्चित करना।
   2.4. सोसाइटी की ओर से सभी पैसे प्राप्त करने और रसीद जारी करना।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

2.5. भुगतान करने के लिए और के निर्देश के अनुसार नकद की रसीद स्वीकार करने के लिए ।

2.6. खातों और रजिस्टरों की सभी पुस्तकों को बनाने और बनाए रखने लिए ।

2.7. बोर्ड द्वारा निर्देशित शर्तों के अधीन बैंक खाते का संचालन करने के लिए ।

2.8. मांग का विवरण तैयार करने के लिए, ऋण और अग्रिम राशि के संबंध में ।

2.9. सोसाइटी के वित्तीय लेनदेन के लिए रसीदें, वाउचर आदि तैयार करना ।

2.10. समिति के लिए सभी पत्राचार करना और आवश्यक जानकारी सदस्यों को प्रदान करना।

2.11. सोसाइटी के अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए

2.12. उप-नियम के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष के साथ चेक और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2.13. बोर्ड द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति सीमा के अनुसार समिति के लिए धन व्यय करना

2.14. बोर्ड के निर्देशों के अनुसार कार्य करना

2.15. यह सुनिश्चित करना कि प्रधान कार्यालय और शाखाओं में रखी गयी नकदी को डबल लॉक सिस्टम के साथ तिजोरी में रखा गया है

2.16. रिकॉर्ड, व्यापार के लिए चल माल, उपकरण, और उत्पाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा नामित अन्य अधिकारी की हिरासत में रखे जायेंगे ।

2.17. बोर्ड की अनुमति से समिति के लिए कोई समझौता करना

2.18. बोर्ड के निर्देशानुसार किसी भी कार्य या असाइनमेंट को निष्पादित करना

2.19. निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय को प्रमाणित करना

2.20. परियोजनाओं के उचित निष्पादन का प्रबंधन करना

2.21. समिति की ओर से वाद दायर करना और समिति के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों की प्रभावी पैरवी करना

6.5 बी श्रेणी सदस्यों की सेवाएं

केवल बी श्रेणी के सदस्यों की सेवाओं का भुगतान किया जाएगा। वे निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार भुगतान प्राप्त करने के योग्य हैं –

1. बी श्रेणी के सदस्य लाभांश और शेयर होल्डिंग के लिए पात्र नहीं होंगे
2. सदस्य के पास के सफल परियोजना समापन के लिए आवश्यक कौशल और विशेषज्ञता है
3. सदस्य परामर्श शुल्क का भुगतान को घंटे के आधार पर किया जाएगा जब वह सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं कि डिजाइन, विकास, वितरण, उत्पाद की खरीद और रखरखाव आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा ।
4. सदस्य को परियोजना राजस्व से परामर्श शुल्क का भुगतान किया जाएगा जिसमें वह सीधे तौर पर शामिल है
5. इस तरह के परामर्श शुल्क के भुगतान के लिए कार्य लॉग का रखरखाव किया जायेगा

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6. कार्य-लॉग बोर्ड और सीईओ के विवेक पर अनुमोदन के अधीन है
7. परामर्शी शुल्क से संबंधित विवाद के मामले में ए-श्रेणी के सदस्य मतदान के माध्यम से समाधान कर सकते हैं प्रमुखता साबित करने के लिए कुल ए-श्रेणी के सदस्यों में से न्यूनतम 2/3 वोट आवश्यक हैं ।

6.6 सी-क्लास सदस्यों की सेवाएं

सी श्रेणी के सदस्यों की सेवाएं किसी भी भुगता के लिए पात्र नहीं होंगी । अपवाद के तहत बोर्ड के विवेक पर निर्णय को बदला भी जा सकता है ।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

7. आंतरिक नियंत्रण

7.1 बही और खातों और रजिस्टरों का रखरखाव

बही का रख-रखाव एक भौतिक रजिस्टर के रूप में किया जा सकता है या यह समिति की सुविधा के अनुसार सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप या वेब एप्लिकेशन हो सकता है। रजिस्टर और बही खाते भौतिक नोटबुक या सॉफ़्टवेयर उत्पाद को संदर्भित कर सकती हैं। सोसायटी द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों और पुस्तकों का रखरखाव किया जाएगा:

7.1.1 वित्तीय विवरणों और अन्य से संबंधित बही

1. **मिनट बुक –** सामान्य निकाय, प्रबंधन समिति और किसी अन्य समिति या उप की बैठकों की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के लिए मिनट-बुक या पुस्तकें बनायी जयेंगी ।
2. **सोसायटी की सदस्यता के लिए आवेदन का रजिस्टर** जिसमें आवेदक का नाम पता, आवेदित शेयर की संख्या और मना करने की स्थिति में हो। आवेदक को प्रवेश से इंकार करने के निर्णय के संचार की तिथि।
3. **सदस्यों का रजिस्टर**, प्रत्येक सदस्य का नाम और पता दर्शाता है। प्रवेश की तारीख, लिए गए शेयरों और ऐसे शेयरों के लिए सदस्य द्वारा भुगतान की गई राशि और उसकी सदस्यता की समाप्ति की तारीख और कारण ।
4. **नामांकन का रजिस्टर** (नियम 77 के तहत सदस्यों द्वारा बनाया गया)
5. **सदस्यों के प्रतिनिधियों का रजिस्टर** जहां प्रतिनिधियों द्वारा समिति के सामान्य निकाय का गठन किया जाता है
6. **दैनिक प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने वाली रोकड़ बही** और प्रत्येक दिन के अंत में शेष राशि
7. समिति के प्रत्येक सदस्य के लिए एक बहीखाता:
8. वाउचर फ़ाइल जिसमें समिति द्वारा किए गए व्यय के लिए सभी वाउचर शामिल हैं, क्रम से क्रमांकित हैं और कालानुक्रमिक रूप से दायर किए गए हैं;
9. प्राप्तियों और संवितरणों और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्रतिदिन के बकाया को दर्शाने वाला एक **सामान्य खाता-बही**
10. **नियुक्त प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों और पदाधिकारियों का रजिस्टर**, यदि कोई हो:
11. **लाभांश का रजिस्टर** शेयर पूंजी का हिसाब रखने के लिये

1. किसी विशेष सहकारी समिति या समितियों या सहकारी के वर्ग के लिए समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य पुस्तकें और रजिस्टर सहकारी समितियों या सहकारी समितियों या सहकारी समितियों के वर्ग द्वारा संचालित किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए:

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

7.1.2 रखरखाव

इस तरह होगी किताबों की देखरेख

1. समिति की पुस्तकों, अभिलेखों और रजिस्टरों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा, जिसे बोर्ड ने प्राधिकृत किया है।
2. बोर्ड सहकारिता के अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा जो:
   2.1. खातों की किताबें बनाए रखना
   2.2. नकद और स्टोर्स की अभिरक्षा करना
   2.3. अन्य पुस्तकें और रजिस्टर का रखरखाव, और
   2.4. रिटर्न और वित्तीय विवरण तैयार करें। बशर्ते कि खातों का रख रखाव करने वाला व्यक्ति नकदी का प्रभारी नहीं होगा
3. समिति के व्यावसायिक घंटों के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा बही खाते और अन्य रिकॉर्ड अवलोकन के लिए खुले रहेंगे।
4. राज्य के अधिनियम और नियम की प्रतियां, उपनियम, सामान्य निकाय की बैठक से संबंधित कार्यवृत्त, लेखा परीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट और अनुपालन, अधिनियम और नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क पर किसी भी सदस्य को समिति के कार्यसमय के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी ।
5. खातों की किताबें आदि जहां तक वे समिति के एक सदस्य से संबंधित हैं, उस सदस्य को अधिनियम और नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध कराई जाएंगी ।
6. समिति ऐसे खातों और खातों से जुड़े अन्य मामलों को ऐसे रूप और तरीके से बनाए रखेगी जैसा कि सहकारिता के तहत सोसाइटी एक्ट में करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है।
7. समिति समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी के लिए आवश्यक विवरणी और विवरण तैयार और प्रस्तुत करेगी ।

7.2 सहकारिता की लेखापरीक्षा

1. एजीएम द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा हर साल सहकारिता का लेखा परीक्षण किया जाएगा।
2. सहकारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक खाते का विवरण तैयार करेगा और अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते पर हस्ताक्षर करने के बाद, जैसा भी मामला हो, ऑडिटर या ऑडिट फर्म के सामने रखेगा। सहकारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक खाते का विवरण तैयार करेगा और 30 दिनों के भीतर अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते पर हस्ताक्षर करने के बाद, जैसा भी मामला हो, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पूर्ण लेखापरीक्षा की सुविधा के लिए प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर और संबंधित लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर लेखापरीक्षा को पूरा करेगा।

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

3. निदेशक मंडल या रजिस्ट्रार समिति के कारोबार की मात्रा या कारोबार के आधार पर एक विशेष लेखा परीक्षक/आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त कर सकते हैं । आंतरिक लेखा परीक्षक कर्मचारियों में से हो सकता है या नियमित आंतरिक नियंत्रण और धन की निगरानी और सहकारिता के लेखा प्रबंधन के लिए आउटसोर्स किया जा सकता है।

4. समिति ऐसे लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान करेगी जो समय-समय पर ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है ।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

8. समिति की संरचना में परिवर्तन

1. सोसाइटी, अपने सामान्य निकाय में एक संकल्प द्वारा –
   1.1. इसके दायित्व के स्वरूप या सीमा को बदलने के लिए इसके उप-नियमों में संशोधन करने का निर्णय ले सकती है
   1.2. अपनी संपत्ति और देनदारियों को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य सहकारी समिति को हस्तांतरित करने का निर्णय ले सकती है जो अपने सामान्य निकाय के एक प्रस्ताव द्वारा इस तरह के हस्तांतरण के लिए सहमत है
   1.3. स्वयं को दो या अधिक सहकारी समितियों में विभाजित कर सकती है
   1.4. अन्य समान सहकारी समिति के साथ स्वयं का विलय कर सकती है
2. कोई भी दो या दो से अधिक सहकारी समितियाँ, अपने-अपने सामान्य निकायों के संकल्प द्वारा, स्वयं को समामेलित करने और एक नई सहकारी समिति बनाने का निर्णय ले सकती हैं।
3. सोसाइटी के प्रत्येक प्रस्ताव को उसकी आम बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत द्वारा पारित किया जाएगा और इस तरह के संकल्प में देयता, स्थानांतरण, विभाजन और समामेलन के सभी विवरण शामिल होंगे जैसा भी मामला हो।
4. सोसाइटी अपने सभी सदस्यों और संघों को संकल्प की एक प्रति के साथ लिखित रूप में नोटिस देगी जिससे वह संबद्ध है, और लेनदार जो अपनी सहमति दे सकते हैं, किसी भी उप-कानून या अनुबंध के विपरीत होने के बावजूद, कोई भी सदस्य, संघ, या लेनदार संकल्प के लिए सहमति नहीं दे रहा है, नोटिस की सेवा की तारीख से एक महीने की अवधि के दौरान उनके शेयरों, जमाओं, ऋणों को वापस लेने का विकल्प होगा।
5. कोई भी सदस्य, महासंघ, या लेनदार जो अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, उसे संकल्प के लिए सहमति माना जाएगा।
6. सोसायटी द्वारा पारित एक प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक
   6.1.
      6.1.1. सदस्यों, संघों और लेनदारों ने सहमति दी है या अधिनियम और नियम के तहत संकल्प के लिए सहमति व्यक्त की है या
      6.1.2. सदस्यों, महासंघों और संपादकों के सभी दावों, जिन्होंने अधिनियम या नियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है, को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है या अन्यथा संतुष्ट किया गया है; तथा
   6.2.

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

6.2.1. दायित्व परिवर्तन के मामले में, संबंधित सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन पंजीकृत है या पंजीकृत माना जाता है; या

6.2.2. विभाजन या समामेलन के मामले में, सहकारी समितियों या समितियों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाता है।

7. जब एक सहकारी समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव प्रभावी होता है, तो संकल्प बिना किसी और आश्वासन के हस्तांतरण में संपत्ति और देनदारियों को निहित करने के लिए पर्याप्त साधन होगा।

8. एक सहकारी समिति का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा और सहकारी समिति को भंग कर दिया गया माना जाएगा और एक कॉर्पोरेट के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा

8.1.1. जब सहकारी समिति के संपूर्ण दायित्व और दायित्व किसी अन्य सहकारी समिति को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं; या

8.1.2. जब ऐसी सहकारी समिति स्वयं को दो या व्यापारिक सहकारी समितियों में विभाजित कर लेती है।

9. जहां दो या दो से अधिक सहकारी समितियों को नई सहकारी समिति के रूप में समामेलित किया जाता है, अलग अलग सहकारी समितियों का पंजीकरण को रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें भंग कर दिया जाएगा और कॉर्पोरेट निकायों के रूप में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

9 समिति का विवाद

समिति के सदस्यों, पूर्व सदस्यों और सोसाइटी के अन्य सदस्यों या अन्य व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होने वाले समिति के संविधान, व्यवसाय और प्रबंधन से संबंधित किसी भी विवाद को सहकारी सोसायटी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार सुलझाया जाएगा। और ऐसे अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित तरीके से निपटाया जाएगा।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

10 . समिति का परिसमापन

1. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सहकारी समिति को भंग या परिसमापन किया जा सकता है।

2. सहकारी समिति के विघटन की स्थिति में, सभी बाहरी देनदारियों को पूरा करने के बाद बची हुई किसी भी धनराशि को ऐसे सदस्यों की शेयर राशि के अनुपात में वितरित किया जाएगा, जो सदस्य राशियों के निपटान की तिथि पर चूककर्ता नहीं हैं।

3. कोई भी राशि जो इस प्रकार सदस्यों के साथ साझा नहीं की जा सकती है, सामान्य निकाय की स्वीकृति या समान उद्देश्यों के साथ किसी अन्य संगठन को दान के रूप में दी जाएगी ।

मुख्य प्रर्वतक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

11 . विविध

1. यदि सोसायटी एक सहकारी केंद्रीय वित्तीय संस्थान के लिए ऋणी है, तो यह बाद के प्रतिनिधि के लिए पुस्तकों और सोसायटी के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए सक्षम होगा और सोसायटी का बोर्ड ऐसे प्रतिनिधियों के समक्ष पुस्तकों और रिकॉर्ड के उत्पादन की व्यवस्था करेगा।
2. यदि किसी भी उपनियम की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो मामला रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अधिनियम और नियम के अनुरूप होगा
3. इस सोसायटी के अधिनियम नियम और उप-नियम के बीच किसी भी संघर्ष या असंगति के मामले में, अधिनियम और नियम के प्रावधान अधिभावी प्रभाव डालेंगे।
4. यह दस्तावेज समिति के अंग्रेजी में बनाये गये नियम, उपनियम का अनुवाद मात्र है । किसी भी विवाद या भ्रम कि स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

1) संकल्प सिंह बोहरा
2) अंकित जायसवाल
3) तरूण तिवारी
4) प्रियंका राजपूत
5) मिथिलेश कुमार यादव
6) नीरज सिंह
7) ज्योति सिंघल
8) हिमांशु कुमार सिंह
9) स्वतन्त्र सिंह

11(5)– समिति की उपविधियों का कोई उपबन्ध उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 में निहित व्यवस्था से असंगत/उल्लेख न होने अथवा प्रतिकूल होने की दशा में समिति की उपविधियों के वह उपबन्ध तत्समय प्रचलित यथासंशोधित उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2014 के प्राविधान प्रभावी होगें।

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईस एण्ड टेक्नोलॉजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

ग्रन्थसूची

मुख्य प्रवर्तक
प्रस्तावित साईंस एण्ड टेक्नोलॉंजी
कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ

सचिव
साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी
को–ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड
लखनऊ